रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27, 1971/फाल्गुन 8, 1892

No. 171] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27, 1971/PHALGUNA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February 1971

S.O. 995.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/MT/70, dated the 17th February, 1971, namely:—

In column 2 of the Table appended to the said notification—

(i) against Serial No. 8-Bombay North East, for the existing entry at 1, the entry "Special Land Acquisition Officer (I), Thana" shall be substituted;

(ii) against Serial Nos. 34-Sholapur and 35-Pandharpur, the entries "Special Land Acquisition Officer No. VI Ujjani Project, Sholapur" and "Special Land Acquisition Officer No. I Ujjani Project, Sholapur" shall be respectively inserted as item 1 and the existing entries shall be renumbered as items 2, 3 and so on; and

(iii) against Serial No. 24-Chanda, after entry 3, the entries "4. Special Land Acquisition Officer, Chandrapur", "5. Special Land Acquisition Officer, (Railway Doubling), Chandrapur" and "6 Special Deputy Collector (Land Reforms), Chandrapur" shall be inserted and the existing entries 4, 5 and 6 shall be renumbered as 7, 8 and 9.

[No. 434/MT/70.]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1971

एस० ओ० 995.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/महाराष्ट्र/70, तारीख 17 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में—

(1) क्रम सं० 8 मुंबई नार्थ ईस्ट के सामने की विद्यमान प्रविष्टि सं० 1 के स्थान पर, "विशेष भूमि अर्जन आफिसर (1), थाना" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(2) "विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० 4, उज्जैनी परियोजना, शोलापुर" तथा "विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० 1 उज्जैनी परियोजना शोलापुर", प्रविष्टियों को, क्रमशः क्रम सं० 34 शोलापुर तथा 35—पेंढरपुर के सामने मद सं० 1 के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा; तथा विद्यमान प्रविष्टियों की मद सं० 2, 3 और इसी प्रकार आगे; पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

(3) क्रम सं० 24—चन्दा के सामने, प्रविष्टि सं० 3 के बाद, "4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर चन्द्रापुर", "5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (रेलवे डबलिंग), चन्द्रापुर" तथा "6 विशेष उप कलक्टर (भूमि सुधार) चन्द्रापुर" प्रविष्टियां, अंतःस्थापित की जाएंगी तथा सं० 4, 5 तथा 6 पर की विद्यमान प्रविष्टियों को 7, 8 तथा 9 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

[सं० 434/महाराष्ट्र/70]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971